2019 का विधेयक संख्यांक 187

[दि इंटर-स्टेट रिवर वाटर डिसप्यूट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019

अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,— 1956 का 33

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'(क) "अध्यक्ष" से धारा 4ख में निर्दिष्ट अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(कक) "विद्यमान अधिकरण" से अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व गठित जल विवाद अधिकरण अभिप्रेत है ;

(कख) "सदस्य" के अंतर्गत अधिकरण का न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ अभिप्रेत है ;

(कग) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(कघ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;';

(ii) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'(ख) "अधिकरण" से धारा 4 के अधीन स्थापित अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिकरण अभिप्रेत है ;

(खक) "उपाध्यक्ष" से धारा 4ख में निर्दिष्ट अधिकरण का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ;'।

धारा 4 के स्थान पर नई धारा 4, धारा 4क, धारा 4ख, धारा 4ग, 4घ और 4ङ का प्रतिस्थापन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना ।

'4. ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे, जल विवादों का न्यायनिर्णयन करने के लिए अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिकरण नामक एक अधिकरण की स्थापना की जाएगी :

परंतु अधिकरण की स्थापना की तारीख से ही सभी विद्यमान अधिकरण विघटित हो जाएंगे और ऐसे विद्यमान अधिकरणों के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लंबित जल विवाद, अधिकरण को अंतरित हो जाएंगे :

परंतु यह और कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो विद्यमान अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में पद धारण किया हुआ है, विद्यमान अधिकरण के विघटन पर, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा, किंतु इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परंतु यह भी कि कोई ऐसा विवाद, जो अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद

(संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व किसी विद्यमान अधिकरण द्वारा पहले ही न्यायनिर्णीत और तय किया जा चुका है, पुनः नहीं खोला जाएगा ।

विवाद समाधान समिति ।

4क. (1) जब कभी धारा 3 के अधीन किसी जल विवाद के संबंध में किसी राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त होता है तो केन्द्रीय सरकार, सौहार्दपूर्ण रूप से विवाद का समाधान करने के लिए एक विवाद समाधान समिति स्थापित करेगी ।

(2) विवाद समाधान समिति, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक ऐसा अध्यक्ष, जो भारत सरकार के सचिव या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी है या रहा है, जिसके पास जल सेक्टर में अनुभव है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले उतने ऐसे विशेषज्ञ सदस्य, जितने आवश्यक समझे जाएं, जो योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति हैं, जिन्हें जल सेक्टर, कृषि या ऐसे अन्य क्षेत्रों में, जिन्हें केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे, विशेष अर्हता और कम से कम पंद्रह वर्ष का वृत्तिक अनुभव हो ;

(ग) ऐसे राज्यों का, जो विवाद के पक्षकार है, प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक राज्य की संबंधित राज्य सरकार द्वारा उस सरकार के अधिकारियों में से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक ऐसा सदस्य, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो ।

(3) विवाद समाधान समिति, एक वर्ष की अवधि के भीतर, जिसे छह मास की एक और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा, बातचीत से जल विवाद का समाधान करने का प्रयोस करेगी और केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

(4) विवाद समाधान समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में—

(क) बातचीत के दौरान प्रत्येक ऐसे राज्य द्वारा, जो विवाद का पक्षकार है, लिए गए अवलंब के ब्यौरे ;

(ख) ऐसे अवलंब पर समिति के सदस्यों के विचारों के ब्यौरे ; और

(ग) उससे संबंधित सभी सुसंगत तथ्यों, जानकारी और डाटा के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे ।

(5) केन्द्रीय सरकार द्वारा, कोई ऐसा जल विवाद, जो बातचीत द्वारा तय नहीं किया जा सकता है, अधिसूचना द्वारा, उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर उसके न्यायनिर्णयन के लिए अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

अधिकरण की संरचना ।

4ख. (1) धारा 12 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अधिकरण में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन से अनधिक न्यायिक सदस्य और तीन ऐसे विशेषज्ञ

सदस्य होंगे, जो चयन समिति की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,—

(क) प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य मंत्री- अध्यक्ष ;

(ख) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश — सदस्य ;

(ग) विधि और न्याय मंत्रालय का भारसाधक मंत्री — सदस्य ; और

(घ) जल शक्ति मंत्रालय का भारसाधक मंत्री ।

(3) कोई व्यक्ति,—

(क) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में तब तक नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा, जब तक वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति न हो या न रहा हो ;

(ख) न्यायिक सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा, जब तक वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो ;

(ग) विशेषज्ञ सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा, जब तक वह योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति न हो और उसके पास जल संसाधन का अनुभव न हो और वह केन्द्रीय सरकार का ऐसा अधिकारी न रहा हो, जो भारत सरकार के सचिव या समतुल्य की पंक्ति का हो अथवा ऐसा कोई विख्यात अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय विशेषज्ञ, जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो, न हो या न रहा हो :

परंतु ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति, जो उच्चतम न्यायालय का आसीन न्यायाधीश है या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से की जाएगी ।

(4) चयन समति, किसी व्यक्ति की, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो विहित की जाए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, न्यायिक सदस्य या विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने की सिफारिश करेगी ।

(5) अधिकरण के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि चयन समिति में सदस्य की कोई रिक्ति है या वह अनुपस्थित है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ।

पदावधि ।

4ग. (1) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पांच वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु पूरी करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हों, पद धारण करेगा ।

(2) अधिकरण के अन्य सदस्यों की पदावधि, जल विवाद के न्यायनिर्णयन के साथ सहविस्तारी होगी और वे धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन न्यायपीठ के विघटन पर पद धारण करने से प्रविरत हो जाएंगे :

परंतु कोई भी सदस्य सड़सठ वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा ।

अधिकरण के सदस्यों का पद से हटाया जाना ।

4घ. केन्द्रीय सरकार ऐसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी,—

(क) जिसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) जिसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है ; या

(ग) जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है ;

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है, जिससे उनके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ;

(ङ) जिसने अपने पद का ऐसा दुरूपयोग किया है जिसके कारण उसका पद पर बने रहना लोकहित में हानिकारक है :

परंतु अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को तब तक पद से नहीं हटाया जाएगा, जब तक उसे खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के बारे में सूचित न किया जाए और उसे उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाए :

परंतु यह और कि ऐसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या न्यायिक सदस्य को, जो आसीन न्यायाधीश है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श के बिना पद से नहीं हटाया जाएगा ।

अधिकरण की न्यायपीठें ।

4ङ. (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(क) अधिकरण की अधिकारिता का प्रयोग उसकी न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा ;

(ख) अध्यक्ष, एक न्यायिक सदस्य और एक विशेषज्ञ सदस्य के साथ पीठासीन अधिकारी के रूप में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से मिलकर बनने वाली किसी न्यायपीठ का गठन कर सकेगा :

परंतु किसी न्यायपीठ का कोई सदस्य किसी अन्य न्यायपीठ का सदस्य भी हो सकेगा ।

(2) अधिकरण की न्यायपीठें साधारणतया नई दिल्ली में और ऐसे अन्य स्थानों पर जैसा अध्यक्ष विनिश्चय करें, बैठकें करेंगी ।" ।

धारा 5 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं

रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(1) अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार से किसी जल विवाद के संबंध में कोई निर्देश प्राप्त होने पर, ऐसा विवाद उसके न्यायनिर्णयन के लिए अधिकरण की किसी न्यायपीठ को सौंपेगा ।

(2) अधिकरण की न्यायपीठ, उपधारा (1) के अधीन उसे समनुदेशित जल विवाद का अन्वेषण करने के पूर्व धारा 4क की उपधारा (3) के अधीन जल विवाद पर या जल विवाद से संबंधित या उसके सुसंगत प्रतीत होने वाले किसी विषय पर विवाद समाधान समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करेगी ।

(2क) अधिकरण की न्यायपीठ, उपधारा (1) के अधीन उसे समनुदेशित जल विवाद का अन्वेषण करेगी और केन्द्रीय सरकार को, दो वर्ष की अवधि के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट भेजेगी जिसमें जल के उपयोग से प्राप्ति, दक्षता और ऐसे अन्य विषयों को, जो विहित किए जाएं, सम्मिलित करते हुए उसके द्वारा पाए गए तथ्यों और ऐसे विवाद पर उसके द्वारा दिया गया विनिश्चय उपवर्णित होगा :

परंतु ऐसी रिपोर्ट में, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, जल की प्राप्यता में कमी से उद्भूत कष्टप्रद अवस्थिति के दौरान जल के वितरण के लिए भी उपबंध किया जाएगा :

परंतु यह और कि यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से दो वर्ष की अवधि के भीतर रिपोर्ट नहीं दी जा सकती है तो केन्द्रीय सरकार ऐसी अवधि को एक वर्ष से अनधिक की और अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगी ।";

(ख) उपधारा (3) में,—

(i) "ऐसे निर्देश पर अधिकरण" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे निर्देश पर अधिकरण की संबंधित न्यायपीठ" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु केन्द्रीय सरकार एक वर्ष की अवधि को छह मास से अनधिक की और अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगी ।" ।

नई धारा 5क, 5ख और 5ग का प्रतिस्थापन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 5क के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

असेसरों की नियुक्ति ।

"5क. (1) केन्द्रीय सरकार, न्यायपीठ को प्रत्येक जल विवाद के लिए, उसके समक्ष की कार्यवाहियों में सलाह देने के लिए केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा में सेवारत ऐसे दो विशेषज्ञों को जो मुख्य इंजीनियर की पंक्ति से नीचे के न हों, असेसर के रूप में नियुक्त कर सकेगी :

परंतु इस प्रकार नियुक्त असेसर, किसी ऐसे राज्य का, जो विवाद का पक्षकार है, अधिवासी नहीं होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्ति असेसरों की पदावधि विवाद के न्यायनिर्णयन के साथ सह-विस्तारी होगी और वे विवाद के न्यायनिर्णीत होने तथा केन्द्रीय सरकार को अंतिम रिपोर्ट अग्रेषित करने के पश्चात् असेसर नहीं रहेंगे ।

प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति ।

5ख. केन्द्रीय सरकार, किसी ऐसे प्रशासनिक अधिकारी की, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, नियुक्ति करेगी, जो अधिकरण के दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्य के लिए और केन्द्रीय सरकार और अधिकरण के बीच नोडल अधिकारी के रूप में कार्य के लिए उत्तरदायी होगा ।

रिक्तियों, अस्थायी अनुपस्थिति, आदि का भरा जाना ।

5ग. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यदि किसी कारण से (अस्थायी अनुपस्थिति से भिन्न) अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के पद पर कोई रिक्ति होती है तो ऐसी रिक्ति को धारा 4ख के अनुसार भरा जाएगा ।

(2) अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग के कारण या अन्यथा उसके पद में कोई रिक्ति होने की दशा में, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा, जिसको इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त कोई नया अध्यक्ष अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है ।

(3) जब अधिकरण की किसी न्यायपीठ का कोई सदस्य अनुस्थिति, रुग्णता के कारण या किसी अन्य कारणवश अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो अध्यक्ष, अधिकरण के किसी अन्य सदस्य को ऐसे सदस्य का कार्य, ऐसे सदस्य द्वारा फिर से कार्यभार संभालने लेने तक सौंप सकेगा ।" ।

धारा 6 का प्रतिस्थापन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

अधिकरण की न्यायपीठ के विनिश्चय का पक्षकारों पर आबद्धकर होना ।

"6. अधिकरण की न्यायपीठ का विनिश्चय अंतिम होगा और विवाद के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा और उसका वही बल होगा, जो उच्चतम न्यायालय के किसी आदेश या डिक्री का होता है ।"।

धारा 6क का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 6क की उपधारा (1) में "कर सकेगी" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं क्रमशः "किया जाने" और "करेगी" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 9क का प्रतिस्थापन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 9क के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात् :—

डाटा बैंक और सूचना का बनाए रखा जाना ।

"9क. (1) केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक नदी बेसिन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डाटा बैंक और सूचना प्रणाली को बनाए रखने के प्रयोजनों के लिए एक अभिकरण नियुक्त या प्राधिकृत करेगी, जो ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करते हुए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जल संसाधनों, भूमि, कृषि और ऐसे अन्य विषयों से

संबंधित डाटा का अनुरक्षण करेगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी अपेक्षा की जाए, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार को या उपधारा (1) के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत अभिकरण को, उस उपधारा में निर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय के संबंध में डाटा उपलब्ध कराएगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार या उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिकरण को राज्य सरकार से प्राप्त डाटा, अभिलेख या किसी अन्य सुसंगत सूचना को मंगाने और उसका सत्यापन करने की शक्ति होगी ।"।

धारा 10 का प्रतिस्थापन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

सदस्यों और असेसरों की सेवा के निबंधन और शर्तें ।

"10. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य सदस्यों और असेसरों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं ।" ।

धारा 12 के स्थान पर नई धारा 12 और धारा 12क का प्रतिस्थापन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 12 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

न्यायपीठ का विघटन ।

"12. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिकरण की किसी न्यायपीठ को सौंपे गए किसी जल विवाद का न्यायनिर्णयन हो जाने तथा उसके विनिश्चय या रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्, अध्यक्ष की सिफारिशों पर, तीन मास की अवधि के भीतर उस न्यायपीठ का विघटन कर देगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन न्यायपीठ का विघटन हो जाने पर, उस न्यायपीठ के सदस्य (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़कर) क्रमशः अपना पद छोड़ देंगे :

परन्तु जहां किसी न्यायपीठ का कोई सदस्य किसी अन्य न्यायपीठ का भी सदस्य है वहां ऐसा सदस्य उस न्यायपीठ के सदस्य के रूप में बना रहेगा ।

विघटित न्यायपीठ के कर्मचारीवृंद और आस्तियां ।

12क. (1) धारा 12 के अधीन अधिकरण की किसी अन्य न्यायपीठ का विघटन हो जाने पर, ऐसी विघटित न्यायपीठ के कर्मचारीवृंद, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए,—

(i) किसी अन्य न्यायपीठ को उपलब्ध करा दिए जाएंगे, यदि ऐसा अपेक्षित है ; या

(ii) अपने मूल काडर में संप्रत्यावर्तित कर दिए जाएंगे ।

(2) विघटित न्यायपीठ की आस्तियां और संपत्तियां केन्द्रीय सरकार को या संबधित राज्य सरकार को, जिसने ऐसी आस्तियां या संपत्तियां उपलब्ध कराई हैं, अंतरित हो जाएंगी ।" ।

धारा 13 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) में खंड (क) से खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(क) वह प्ररूप और रीति, जिसमें किसी राज्य सरकार द्वारा धारा 3 के अधीन किसी जल विवाद के बारे में परिवाद किया जा सकेगा ;

(ख) धारा 4ख की उपधारा (4) के अधीन अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने और अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के चयन की सिफारिश करने की रीति ;

(ग) अन्य विषय और धारा 5 की उपधारा (2क) के अधीन जल की प्राप्यता में कमी से उद्भूत कष्टप्रद अवस्थिति के दौरान जल के वितरण की रीति ;

(घ) ऐसे अन्य विषय, जिनके संबंध में धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियां अधिकरण में निहित हो सकेंगी ;

(ङ) धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन अधिकरण द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(च) ऐसे अन्य विषय, जिनके संबंध में धारा 9क की उपधारा (1) के अधीन डाटा अनुरक्षित किया जाएगा, उसकी विशिष्टियां और ऐसे डाटा के अनुरक्षण की रीति;

(छ) धारा 10 के अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य सदस्यों और असेसरों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ज) वह रीति जिसमें धारा 12क की उपधारा (1) के अधीन विघटित न्यायपीठ के कर्मचारीवृंद के संबंध में विचार किया जाएगा ;

(झ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए या विहित किया जाना है ।" ।

धारा 14 का प्रतिस्थापन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

रावी और व्यास जल अधिकरण से संबंधित मामले ।

"14. अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व गठित रावी और व्यास जल अधिकरण का विघटन हो जाएगा और उसके समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लंबित जल विवाद अधिकरण को अंतरित हो जाएंगे:

परन्तु संबंधित न्यायपीठ ऐसे विवाद में उसी प्रक्रम से कार्यवाही आरंभ करेगी जिस पर वह अंतरित किया जाता है ।"।

नई धारा 15 का अंतःस्थापन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

न्यायनिर्णयन के दौरान पक्षकारों द्वारा विवाद का समझौता ।

"15. (1) जहां ऐसे राज्यों में, जो किसी विवाद के पक्षकार हैं, अधिकरण द्वारा किसी विवाद के न्यायनिर्णयन की अवधि के दौरान कोई समझौता हो जाता है और ऐसे राज्य केन्द्रीय सरकार को इस निमित्त रिपोर्ट प्रस्तुत कर देते हैं, वहां केंद्रीय सरकार, एक मास की अवधि के भीतर, उक्त विवाद के न्यायनिर्णयन को

समाप्त करने के लिए अधिकरण के अध्यक्ष को निर्देश करेगी ।

(2) अध्यक्ष, उपधारा (1) के अधीन निर्देश प्राप्त होने पर, उस न्यायपीठ के विघटन की सिफारिश करेगा और केन्द्रीय सरकार, ऐसी सिफारिशों पर, तीन मास की अवधि के भीतर अधिकरण की उस न्यायपीठ को विघटित कर देगी ।

(3) इस धारा के अधीन पक्षकारों द्वारा विवाद के निपटान की वही प्रास्थिति और प्रभाव होगा जैसे वह धारा 6 के अधीन अधिकरण का कोई विनिश्चय हो ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्यों द्वारा जल की मांग में वृद्धि होने के कारण अंतर्राज्यिक नदी जल विवादों में वृद्धि हुई है । तथापि, अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) में ऐसे विवादों पर ध्यान देने के लिए एक विधिक रूपरेखा का उपबंध किया गया है तो भी उसमें अनेक त्रुटियां हैं । उक्त अधिनियम के अधीन प्रत्येक अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद के लिए एक पृथक् अधिकरण की स्थापना की जानी होगी । नौ अधिकरणों में से केवल चार अधिकरणों ने अधिनिर्णय दिए हैं, यद्यपि, लगभग तैंतीस वर्षों से रावी-ब्यास जल विवाद अधिकरण विद्यमान हैं, तो भी वे अभी तक कोई सफल निर्णय देने में समर्थ नहीं हुए हैं । इसके अतिरिक्त, अधिनियम में किसी अधिकरण द्वारा न्यायनिर्णयन के लिए समय-सीमा नियत करने या किसी अधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई ऊपरी आयु सीमा के लिए कोई उपबंध नहीं है । इसमें न तो किसी अधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य के पद पर कोई रिक्ति होने पर कार्य जारी रखने के लिए कोई प्रक्रिया है और न ही अधिकरण की रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए कोई समय-सीमा है । इन सभी त्रुटियों के कारण जल विवादों के न्यायनिर्णयन में विलंब हो रहा है ।

2. अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 अंतर्राज्यिक नदी जल विवादों के न्यायनिर्णयन को सरल और कारगर बनाने तथा वर्तमान विधिक और संस्थागत संरचना को संतुलित बनाने के लिए है । विधेयक में ऐसे जल विवादों को अधिकरण को निर्दिष्ट करने के पूर्व, केन्द्रीय सरकार द्वारा सुसंगत क्षेत्रों से विशेषज्ञों को मिलाकर स्थापित की जाने वाली विवाद समाधान समिति के माध्यम से सौहार्दपूर्ण बातचीत द्वारा जल विवाद का समाधान करने के लिए एक तंत्र पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है ।

3. प्रस्तावित विधेयक, अनेक अधिकरणों के स्थान पर (अनेक न्यापीठों के साथ) एकल स्थायी अधिकरण का उपबंध करने के लिए भी है, जो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और छह से अनधिक सदस्यों (तीन न्यायिक सदस्य और तीन विशेषज्ञ सदस्य) से मिलकर बनेगा । अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदावधि पांच वर्ष की या उनके सत्तर वर्ष की आयु पूरी कर लेने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगी । अधिकरण के अन्य सदस्यों की पदावधि जल विवादों के न्यायनिर्णयन के साथ सह-विस्तारी होगी और कोई भी सदस्य सड़सठ वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा । इसमें यह भी प्रस्ताव है कि असेसर, जो अधिकरण को तकनीकी समर्थन देता है, की नियुक्ति केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा में सेवारत ऐसे विशेषज्ञों में से की जाएगी, जो मुख्य इंजीनियर की पंक्ति से नीचे के न हों । अधिकरण द्वारा किसी जल विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए कुल समयावधि अधिकतम साढ़े चार वर्ष निश्चित की गई है । अधिकरण की न्यायपीठ का विनिश्चय, राजपत्र में उसके प्रकाशन की अपेक्षा के बिना, अंतिम होगा और संबंधित राज्यों पर बाध्यकर होगा । प्रस्तावित विधेयक, प्रस्तावित उपबंधों में विनिर्दिष्ट आधारों पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को हटाए जाने

का उपबंध करने के लिए भी है । यह अधिकरण में न्यायनिर्णयन प्रक्रिया के दौरान पक्षकार राज्यों द्वारा विवादों का न्यायालय से बाहर समझौते का उपबंध करने के लिए भी है ।

4. प्रस्तावित विधेयक, प्रत्येक नदी बेसिन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पारदर्शी डाटा संग्रहण प्रणाली का उपबंध करने के लिए भी है और इस प्रयोजन के लिए, डाटा बैंक और सूचना प्रणाली को बनाए रखने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एक अभिकरण नियुक्त या प्राधिकृत किया जाएगा ।

5. विधेयक उपरोक्त उद्धेश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

गजेन्द्र सिंह शेखावत

नई दिल्ली;
15 जुलाई, 2019

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 3, अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम,1956 की धारा 4 के स्थान पर, नई धारा 4,धारा 4क, धारा 4ख, धारा 4ग, 4घ और 4ङ प्रतिस्थापित करने के लिए है । प्रस्तावित धारा 4 अनेक न्यायपीठों के साथ एकल स्थायी अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना करने के लिए है, जिसका गठन प्रारंभ में पांच विद्‌यमान अधिकरणों का विलय करके किया जाएगा । चूंकि आवश्यक फर्नीचर के साथ विद्‌यमान परिसर पहले से ही उपलब्ध है, अतः नए स्थायी अधिकरण के कार्यालय की स्थापना के लिए किसी नवीन परिसर या फर्नीचर की अपेक्षाएं नहीं है । अतः इसमें कोई अनावर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं होगा ।

नया अधिकरण एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और छह से अनधिक सदस्यों (तीन न्यायिक सदस्य और तीन विशेषज्ञ सदस्य) से मिलकर बनेगा । इसके अतिरिक्त नए अधिकरण की स्थापना के पश्चात् विद्‌यमान अधिकरणों मे मंजूर किए गए 97 पदों को कम करके 72 पद करने का प्रस्ताव है । अतः प्रस्तावित नए अधिकरण की स्थापना पर प्राक्कलित वार्षिक आवर्ती व्यय विद्‌यमान 14.81 करोड़ रुपए से कम होकर 10.54 करोड़ रुपए होने की संभावना है, इसके द्‌वारा 4.27 करोड़ रूपए प्रति वर्ष की बचत होगी ।

विधेयक, यदि अधिनियमित हो जाता है तो, इसमें कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं होगा ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 10, नियम बनाने की शक्ति से संबंधित धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (क) से खंड (च) को प्रतिस्थापित करने के लिए है । प्रस्तावित संशोधन निम्नलिखित के संबंध में नियम बनाने की शक्ति का उपबंध करने के लिए है—

(i) अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया और अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए सिफारिशें करना ;

(ii) अन्य विषय और जल की प्राप्यता में कमी से उद्‌भूत तनावपूर्ण परिस्थितियों के दौरान जल वितरण की रीति ;

(iii) ऐसे अन्य विषय, जिनके संबंध में डाटा बनाए रखा जाएगा, विशिष्टियां, जो ऐसे डाटा में होंगी और वह रीति, जिसमें ऐसा डाटा अनुरक्षित किया जाएगा ; और

(iv) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य सदस्यों और असेसरों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें ; और

(v) वह रीति, जिसमें विघटित न्यायपीठ के कर्मचारिवृंद के संबंध में विचार किया जाएगा,

वे विषय, जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे, साधारणतया प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं, और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्यांक 33) से उद्धरण

*   *   *   *   *

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में,जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ख) "अधिकरण" से धारा 4 के अधीन गठित जल विवाद अधिकरण अभिप्रेत है ;

*   *   *   *   *

अधिकरण का गठन ।

4. (1) जब धारा 3 के अधीन कोई अनुरोध जल विवाद के बारे में किसी राज्य सरकार से प्राप्त होता है और केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि जल विवाद बातचीत से तय नहीं किया जा सकता है तो केंन्द्रीय सरकार, ऐसे अनुरोध की प्राप्त की तारीख से एक वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, जल विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए, जल विवाद अधिकरण का गठन करेगी :

2002 का 14

परंतु अंतर्राज्यिक जल विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारंभ से पूर्व अधिकरण द्वारा तय किए गए किसी विवाद को पुनः नहीं खोला जाएगा ।

(2) अधिकरण में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे जो इस निमित्त भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उन व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जो ऐसे नामनिर्देशन के समय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों ।

(3) अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों में अधिकरण को सलाह देने के लिए केंन्द्रीय सरकार, अधिकरण के परामर्श से, दो या अधिक व्यक्तियों को असेसर के रुप में नियुक्त कर सकेगी ।

जल विवादों का न्यायनिर्णयन ।

5. (1) जब अधिकरण धारा 4 के अधीन गठित हो गया हो, तो केंन्द्रीय सरकार, धारा 8 में अंतर्विष्ट प्रतिषेधों के अध्याधीन जब विवाद और जल विवाद से संबद्ध या सुसंगत प्रतीत होने वाले किसी मामले को न्यायनिर्णयन के लिए अधिकार को निर्दिष्ट करेगी ।

(2) अधिकरण उन मामलों का अन्वेषण करेगा, जो उसको निर्दिष्ट किए गए हैं और वह केंन्द्रीय सरकार को तीन वर्ष की अवधि के भीतर, एक रिपोर्ट भेजेगा,जिसमें उसके द्वारा पाए गए तथ्य और उसको निर्दिष्ट मामलों पर उसके द्वारा दिया गया विनिश्चय उपवर्णित होगा :

परंतु यदि विनिश्चय अपरिहार्य कारणों से तीन वर्ष की अवधि के भीतर नहीं दिया जा सकता है, तो केंन्द्रीय सरकार, उक्त अवधि को दो वर्ष से अनधिक की और अवधि

के लिए विस्तारित कर सकेगी ।

(3) यदि अधिकरण के विनिश्चय पर विचार करने पर, केंन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की यह राय है कि उसमें अंतर्विष्ट किसी बात का स्पष्टीकरण अपेक्षित है या किसी मामले पर, जिसे अधिकरण को मूलतः निर्दिष्ट नहीं किया गया है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो, यथास्थिति, केंन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार विनिश्चय की तारीख से तीन मास के भीतर, मामले पर और विचार करने के लिए अधिकरण को पुनः निर्दिष्ट कर सकेगी और ऐसे निर्देश पर अधिकरण एक और रिपोर्ट ऐसे स्पष्टीकरण या मार्गदर्शन देते हुए, जो वह ठीक समझे, ऐसे निर्देश की तारीख से एक वर्ष के भीतर केंन्द्रीय सरकार को भेजेगा और ऐसी दशा में, अधिकरण का विनिश्चय तदनुसार उपांतरित किया गया समझा जाएगा :

परंतु एक वर्ष की उक्त अवधि को, जिसके भीतर अधिकरण अपनी रिपोर्ट केंन्द्रीय सरकार को भेज सकेगा, केंन्द्रीय सरकार द्वारा, ऐसी और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा,जिसे वह आवश्यक समझे ।

* * * * *

रिक्तियों का भरा जाना ।

5क. यदि किसी कारण से अधिकरण के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य का पद (अस्थायी अनुपस्थिति से अन्यथा) खाली होता है तो ऐसी रिक्ति धारा 4 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस निमित्त नामनिर्देशित किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा भरी जाएगी और अधिकरण को निर्दिष्ट मामले का अन्वेषण रिक्ति भरे जाने के पश्चात् अधिकरण द्वारा उसी प्रक्रम से, जहां कि रिक्ति हुई थी, जारी रखा जा सकेगा ।

अधिकरण के विनिश्चय का प्रकाशन ।

6. (1) केंन्द्रीय सरकार अधिकरण के विनिश्चय का प्रकाशन राजपत्र में करेगी और वह विनिश्चय अंतिम होगा और विवाद के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा तथा उनके द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा ।

(2) अधिकरण के विनिश्चय का, केंन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में उसके प्रकाशन के पश्चात्, वही प्रभाव होगा, जो उच्चतम न्यायालय के आदेश या डिक्री का होता है ।

अधिकरण के विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए स्कीमें बनाने की शक्ति ।

6क. (1) धारा 6 के उपबन्धों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिकरण के विनिश्चय को प्रभावी करने के लिए आवश्यक सभी विषयों की बाबत उपबन्ध करने के लिए कोई स्कीम या स्कीमें विरचित कर सकेगी ।

* * * * *

डाटा बैंक और सूचना का बनाए रखना ।

9क. (1) केंन्द्रीय सरकार, प्रत्येक नदी द्रोणों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा डाटा बैंक और सूचना प्रणाली बनाए रखेगी जिसमें जल स्त्रोतों, भूमि, कृषि और उनसे संबंधित विषयों के संबंध में वह डाटा सम्मिलित होगा जो केंन्द्रीय सरकार समय-समय पर विहित करे । राज्य सरकार, केंन्द्रीय सरकार को या केंन्द्रीय सरकार द्वारा इस

प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अभिकरण को, जब भी अपेक्षित हो, उक्त डाटा का प्रदाय करेगी ।

(2) केंन्द्रीय सरकार को, राज्य सरकार द्वारा प्रदाय किए गए डाटा का सत्यापन करने और उक्त प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त करने और ऐसे उपाय करने की, जिन्हें वह आवश्यक समझे, शक्तियां होंगी । इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को संबद्ध राज्य सरकार से ऐसे अभिलेख और सूचना समन करने की शक्तियां होंगी जो इस धारा के अधीन उनके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझी जाएं ।

*　　*　　*　　*　　*

अधिकरण के अध्यक्ष और असेसरों के भत्ते या फीस ।

10. अधिकरण का अध्यक्ष और अन्य सदस्य और असेसर ऐसे पारिश्रमिक, भत्ते या फीस प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो विहित किए जाएं ।

*　　*　　*　　*　　*

अधिकरण का विघटन ।

12. केंन्द्रीय सरकार, अधिकरण द्वारा रिपोर्ट भेज दिए जाने के पश्चात् और ज्यों ही केंन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि मामले में अधिकरण का कोई अतिरिक्त निर्देश आवश्यक नहीं होगा, अधिकरण का विघटन कर देगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

13. (1)　　*　　*　　*　　*

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों द्वारा सभी निम्नलिखित मामलों पर या उनमें से किन्हीं के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) वह प्ररुप और रीति जिसमें कि किसी राज्य सरकार द्वारा जल विवाद के बारे में परिवाद किया जा सकेगा;

(ख) वे मामले जिनके बारे में अधिकरण में सिविल न्यायालय की शक्तियां निहित हो सकेंगी;

(ग) इस अधिनियम के अधीन अधिकरण द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(घ) अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को और असेसरों को संदेय पारिश्रमिक, भत्ते या फीस;

(ङ) अधिकरण के अधिकारियों और असेसरों की सेवा के निबंधन और शर्तें;

(च) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाना है या किया जा सकता है ।

*　　*　　*　　*　　*

रावी-व्यास जल अधिकरण का गठन ।

14. (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, केंन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पंजाब समझौते के पैरा 9.1 और पैरा 9.2 में निर्दिष्ट मामलों के सत्यापन और उनके न्यायनिर्णयन के लिए इस अधिनियम

के अधीन एक अधिकरण का गठन कर सकेगी जिसका नाम रावी-व्यास जल अधिकरण होगा ।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन किसी अधिकरण का गठन किया जाता है तब उसके गठन, अधिकारिता, शक्ति, प्राधिकार और अधिकारिता के वर्जन से संबंधित इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) और उपधारा (3), धारा 5 की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) और धारा 5क से धारा 13 तक की धाराओं के (दोनो धाराओं सहित) उपबंध, यथाशक्य, इसकी उपधारा (3) के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के अधीन गठित अधिकरण के संबंध में गठन, अधिकारिता, शक्ति, प्राधिकार और अधिकारिता के वर्जन को लागू होंगे ।

(3) जब किसी अधिकरण का उपधारा (1) के अधीन गठन किया जाता है तब केंन्द्रीय सरकार ही स्वप्रेरणा से या संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर ऐसे अधिकरण को पंजाब समझौते के पैरा 9.1 और पैरा 9.2 में विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "पंजाब समझौते" से 24 जुलाई, 1985 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित समझौते का ज्ञापन अभिप्रेत है ।

* * * * *

MGIPMRND—1842LS(CRC)—19-7-2019.